भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 833

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अस्पताल

833. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण उक्त योजना के अंतर्गत पैनल से हटाए गए सरकारी और निजी अस्पतालों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के ऐसे निजी अस्पताल धनराशि के वितरण में विलंब के कारण उक्त योजना के अंतर्गत उपचार करने से इनकार कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा मरीजों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनल से बाहर किए गए सरकारी और निजी अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग): पैनलबद्ध किए जाने की शर्तों के अनुसार, अस्पतालों को एबी-पीएमजेएवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना अनिवार्य है। पैनल में शामिल अस्पताल द्वारा सेवाओं से इनकार किए जाने की

स्थिति में, लाभार्थी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एबी-पीएमजेएवाई के तहत, लाभार्थियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समितियाँ हैं।

लाभार्थी वेब आधारित पोर्टल, केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केन्द्रीय एवं राज्य कॉल सेंटर (14555), ई-मेल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को पत्र (एसएचए) आदि सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, दावों का निपटान संबंधित एसएचए द्वारा किया जाता है। दावों का समय पर निपटान उन प्रमुख मापदंडों में से एक है जिसके आधार पर योजना के निष्पादन को मापा जाता है। इसलिए, योजना के तहत दावों के निपटान की स्थिति की नियमित निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावों का निपटान निर्धारित समय के भीतर किया जाता है। जब कभी दावों के भुगतान में देरी होती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(घ): यह योजना लाभार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करती है। इसके लिए, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। सरकारी, निजी और कॉर्पोरेट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए और पैनलबद्ध अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रवेश स्तर की एनएबीएच मान्यता और पूर्ण एनएबीएच मान्यता वाले अस्पतालों को पैकेज दर के अतिरिक्त क्रमशः 10% और 15% का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने वाले अस्पतालों को भी एचबीपी पैकेज्ड मास्टर दरों की आधार दर के अतिरिक्त 10% की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है।

अनुलग्नक-I

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार और वर्ष-वार विवरण

राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अरुणाचल प्रदेश	2	2	15	17	9	3	3
असम	120	121	16	11	30	42	13
मणिपुर	15	11	8	12	11	8	4
मेघालय	147	12	6	1		4	4
मिजोरम	79	3	3		1	1	1
नगालैंड	43	10	4	3	2	12	3
सिक्किम	6			6	1	2	4
त्रिपुरा	90	1	36	2	3	5	1

नोट: डेटा दिनांक 01.02.2025 की स्थिति के अनुसार

अनुलग्नक-II

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनल से बाहर किए गए सरकारी और निजी अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
असम	44	42	9	3	1	1
मणिपुर				1		
मेघालय	7	1		1		
नगालैंड	15	5	5			
सिक्किम	1					

नोट: डेटा दिनांक 01.02.2025 की स्थिति के अनुसार

*****